न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 71/2019 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- 1. रामप्रताप पुत्र प्रभूदयाल जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:---- अपीलांट

वनाम

1 रोहिताश पुत्र प्रभू जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:---- असल रेस्पो0

2 अनिल पुत्र बनवारी जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

3 राजेन्द्र पुत्र गौरीसहाय जाति अहीर

4 राजेश पुत्र दाताराम जाति अहीर

5 संजय पुत्र दाताराम जाति अहीर निवासीयान ग्राम मोलडिया तहसील बहरोड जिला अलवर

6 बलवंत पुत्र.रामजीलाल जाति अहीर

7 प्रेम देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति अहीर

8 हवासिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति अहीर,

9 प्रदीप कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति अहीर निवासीयान पदमाडाखुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

10. नारायणी पत्नी रामजीलाल जाति अहीर

10 सविता पुत्री रामजीलाल जाति अहीर निवासी पदमाडाखुर्द

11 बलबीर पुत्र प्रभू जाति अहीर

12 रामगिरी पत्नी बनवारी जाति अहीर

13 महेन्द्र पुत्र बनवारी जाति अहीर

14 अनिल पुत्र बनवारी जाति अहीर

15 शीशराम पुत्र बनवारी जाति अहीर

16 बबली पुत्री बनवारी जाति अहीर निवासीयान पदमाडाखुर्द तहसील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

मुण्डावर जिला अलवर

17 राज0 सरकार जरिये भूगिधारी तहसीलदार, मुण्डावर

18 उप पंजीयक, मुण्डावर जिला अलवर ।

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर

दिनांक 27.6.2019

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री सुखवीर यादव

2. वकील रेस्पो0 सं0 1 :– श्री जनार्दन शर्मा

निर्णय दिनांक 22.10.2021

---

1 यह अपील तहत अदालत उपखंड अधिकारी, मुण्डावर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 144/2018 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 27.6.2019, जिसके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना ने तहत अदालत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश कर निवेदन किया था कि आराजी खसरा नम्बर हाल 328 रकवा 32 एयर, 386 रकबा 33 एयर, 834 रकबा 62 एयर, 835 रकबा 63 एयर, 837 रकवा 63 एयर, 1021/992 रकबा 5 एयर वाके ग्राम पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 का 1/2, 1/2 भाग खातेदारी में है । आराजी खसरा नम्बर 425 रकबा 14 एयर तथा खसरा नम्बर 428 रकबा 23 एयर प्रार्थी एवं समस्त अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की है । आराजी खसरा नम्बर 328, 386, 834, 835, 837, 1021/992 का प्रार्थी एवं अप्राथी संख्या 01 ने दिनांक 15.9.2004 को आपसी सहमति से बटवारा कर लिया था । मिन प्रार्थी ने आराजी खसरा नम्बर 837 में बिजली का कनेक्शन ले रखा है । अप्रार्थीगण आराजी का विधिवत बंटवारा कराये बिना आराजी निर्माण कार्य करने पर आमदा है तथा बिजली कनेक्शन लेने की फिराक में है । अप्रार्थी जबरन प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजाहमत करते हैं और प्रार्थी को बेदखल करने पर आमदा है । अतः उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 27.6.2019 के द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट स्वीकार किया है, जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 01 ने यह अपील पेश की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि पक्षकारान एक ही खानदान के हैं । पक्षकारान का पूर्वज प्रभूदयाल था । रागप्रताप, रोहिताश, बलवीर व बनवारी ने अपने पिता प्रभूदयाल की कुल जगीन जायदाद का बाहमी बटवारा कर लिया था । दो बटवारेनामे दिनांक 15.9.2004 को लिखे गये थे । एक बंटवारानामा रागप्रताप व रोहिताश के हिस्से में आई जगीन के सम्बन्ध में लिखा गया था और दूसरा बंटवारानामा बनवारी व बलवीर के हिस्से में भूमि के सम्बन्ध में लिखा गया था । बनवारी व बलवीर की जगीन को वादी रोहताश ने वाद पत्र में शामिल नहीं किया है । आराजी खसरा नम्बर 328, 386, 834, 835, 837, 1021/992 में मेरा 1/2 भाग तथा 1/2 भाग वादी रेस्पो0 संख्या 01 रोहिताश का है । आराजी खसरा नम्बर 837 रकबा 63 एयर में तरफ उत्तर का 1/2 भाग मेरे हिस्से में तथा तरफ दक्षिण का 1/2 भाग रेस्पो0 रोहिताश के हिस्से में आया । मैंने अपने 1/2 हिस्से के तरफ उत्तर में एक बोरिंग कर रखी है । रोहिताश ने भी ने अपने 1/2 भाग के तरफ दक्षिण में बोरिंग कर रखी है और बिजली कनेक्शन भी ले रखा है । मैंने बिजली कनेक्शन के लिये फाइल लगा रखी है और जिसका डिमाण्ड नोटिस आने पर मैंने रकम भी जमा करा रखी है । असल रेस्पो0 ने हमारा बिजली कनेक्शन ना हो, इस हेतु तहत अदालत में वाद पत्र पेश कर दिया और उस वाद पत्र के साथ धारा 212 आर0टी0 एक्ट प्रार्थना पत्र दायर कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली । मुझे अपनी आराजी में बिजली का कनेक्शन लेने का अधिकार है । विवादित भूमि सह खातेदारी की भूमि है, जिस पर कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 837 में मैंने बोरिंग करा रखी है और बिजली कनेक्शन ले रखा है । परन्तु आराजी खसरा नम्बर 837 में लगी हुई बोरिंग में पानी की कमी हो गई है । इसलिये मैं खसरा नम्बर 837 से बिजली का कनेक्शन आराजी खसरा नम्बर 834 में स्थानांतरित कराना चाहता हूं । विवादित आराजी शामलात खाते की आराजी है, जिसका अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । बिना विभाजन के ये लोग आराजी को खुर्दबुर्द करने पर आमदा है तथा निर्माण कार्य करने की फिराक में है । इसलिये तहत अदालत ने सही तौर पर इनको पाबन्द किया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । चूंकि विवादित आराजी शामलात खाते की आराजी है । माननीय राजस्व मण्डल ने अनेकों नजीरों में प्रतिपादित किया है कि जहां पर आराजी का दुर्व्ययन होने का, खुर्द बुर्द करने का तथा आराजी को हानि पहुंचाने का अंदेशा हो तथा पक्षकारों में अनावश्यक विवाद बढने की आशंका हो, वहां पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर देनी चाहिये । इस प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में हम तहत अदालत के निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पहुंचाते हैं । लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है । चूंकि विवादित आराजी के सम्बन्ध में एक अन्य अपील संख्या 95/2021 उनवान रोहिताश बनाम रामप्रताप में आज ही निर्णय पारित करते हुये आदेश दिये गये हैं कि उक्त अपील का अपीलांट रोहिताश आराजी खसरा नम्बर 837 से आराजी खसरा नम्बर 834 वाके ग्राम पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर में बिजली कनेक्शन स्थानांतरित कराने हेतु स्वतंत्र रहेगा । अतः इस अपील में भी बिजली कनेक्शन स्थानांतरित कराने का उक्त आदेश लागू रहेगा । तहत अदालत का शेष आदेश दिनांक 27.6.2019 यथावत रहेगा ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर